

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 1970/भाद्र 23, 1892

No. 156]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 1970/EHALFA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September 1970

No. RS.1/4/70-L.—The following order by the President, dated the 12th September, 1970, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 9th November, 1970, at New Delhi.

V. V. GIRI,
President."

The 12th September, 1970.

S. S. BHALERAO, for Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अभिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1970

संख्या आर० एस० 1/4/70-एन०—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 1970, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 9 नवम्बर, 1970 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमन्त्रित करता हूँ।

12 सितम्बर, 1970

बी० बी० गिरि,
राष्ट्रपति।”

एस० एस० भालेराव,
कृत सचिव।